



# मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

## // विज्ञापन //

क्रमांक : 09 / परीक्षा / 2023

जबलपुर, दिनांक-16 / 02 / 2023

**म0प्र0 उच्च न्यायालय में Junior Judicial Assistant/Judicial Assistant से Senior Judicial Assistant के 04 पदों की पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा वर्ष-2023**

**खण्ड-‘अ’**

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	:	21 / 02 / 2023 (12.00 PM)
ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि	:	06 / 03 / 2023 (11.55 PM)
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	:	20 / 03 / 2023 (11.55 PM)
परीक्षा की दिनांक	:	बाद में अधिसूचित की जावेगी।

नोट- आवेदकों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में समय-समय पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट [www.mphec.gov.in](http://www.mphec.gov.in) का अवलोकन करते रहें।

विज्ञापित पदों का विवरण :-

पद का नाम	सीनियर ज्युडीशियल असिस्टेंट
कुल पद	04
पदस्थापना का स्थान	खण्डपीठ-ग्वालियर

यह विभागीय परीक्षा High Court of Madhya Pradesh Services (Recruitment, general conditions of services, conduct, classification, control and appeal) Rules, 2017 की "अनुसूची-एक" के "सरल क्रमांक-30" के कॉलम 09 में क्रमांक (ii) अनुसार केवल उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ-जबलपुर, व खण्डपीठ-इंदौर एवं ग्वालियर में पदस्थ ज्युडीशियल असिस्टेंट कर्मचारियों/सेवा में 05 वर्ष पूर्ण कर चुके जूनियर ज्युडीशियल असिस्टेंट कर्मचारियों (जिनका नाम संलग्न सूची में दर्शित है) के सीनियर ज्युडीशियल असिस्टेंट के पद पर नियमानुसार पदोन्नति हेतु आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा अन्य किसी भी आवेदक/आवेदकों अथवा किसी भी अन्य संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के लिये आयोजित नहीं की जा रही है, यदि कोई अन्य व्यक्ति (जिसका नाम संलग्न सूची में दर्शित नहीं है) आवेदन

प्रेषित करता है, तो उसके आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

### ऑनलाईन आवेदन भरने सम्बंधी महत्वपूर्ण जानकारी :-

1. आवेदक अपना ऑनलाईन फार्म स्वयं भरें एवं यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में उसके द्वारा दी गई जानकारी व विवरण पूर्णतः सत्य एवं सही हैं, बाद में त्रुटि-सुधार के लिये पृथक से कोई अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होगा।
2. आवेदन पत्र म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट [www.mphe.gov.in](http://www.mphe.gov.in) पर निर्धारित अवधि तक उपलब्ध रहेंगे, आवेदक को उक्त वेबसाईट पर जाकर बायीं ओर दी गई "Menu Bar" में "Recruitment/Result" के "Icon" को दबाना "Click" करना होगा, तत्पश्चात खुलने वाले पटल पर "Online Application Forms/Admit Card" के Icon को "Click" करना होगा, जिसमें उक्त विभागीय परीक्षा का आवेदन उपलब्ध रहेगा, जिसे आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरा जा सकेगा। आवेदक फार्म की सभी प्रविष्टियां सही भरने के उपरांत "Submit" बटन दबाएंगे, किन्तु यदि कोई प्रविष्टि गलत या त्रुटिपूर्ण है तो "Reset" बटन दबाकर, उक्त प्रविष्टि सही करने के पश्चात फार्म "Submit" करेंगे। फार्म पूर्णतः भरने के उपरांत आवेदक पूरे फार्म का प्रिंट निकाल लेंगे।
3. फार्म भरने में उत्पन्न किसी बाधा या संदेह के निवारण हेतु आवेदक 93000-89777 (सिस्टम ऑफिसर, परीक्षा अनुभाग) से संपर्क कर सकते हैं या "regexamhcjbp@mp.gov.in" पर ई-मेल प्रेषित कर सकते हैं।
4. उक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र के प्रिंट आऊट के साथ आवेदक अपनी अंतिम वेतन-पर्ची की प्रति, उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति एवं 02 नवीन रंगीन छायाचित्र लगाकर एक लिफाफे में रखकर, लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से परीक्षा का नाम "ज्युडीशियल असिस्टेंट एवं जूनियर ज्युडीशियल असिस्टेंट से सीनियर ज्युडीशियल असिस्टेंट के 04 पदों की पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा वर्ष-2023" अंकित करते हुए "प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर" के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में निर्धारित तिथि तक स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा उचित माध्यम से जमा करेंगे। निर्धारित तिथि तक फार्म जमा करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो।
5. सूची में दर्शित कर्मचारियों में से यदि किसी कर्मचारी ने ऑनलाईन आवेदन पत्र नहीं भरा अथवा भरने के पश्चात् आवेदन के प्रिंट आऊट व वांछित दस्तावेजों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा सेल को नहीं भेजा तब ऐसी स्थिति में यह माना जावेगा कि वह कर्मचारी इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक नहीं है एवं ऐसा कर्मचारी इस विभागीय परीक्षा हेतु पात्र नहीं माना जायेगा तथा उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन अथवा ई0मेल पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जायेगा।